जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 04.03.2025

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा0 3 वारण्टी नाम पता 1. पारस यादव पुत्र अवधू निवासी सिक्टौर माफी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 2. पूर्णवासी यादव पुत्र अवधू निवासी सिक्टौर माफी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 03.जगदीश पुत्र भकालू निवासी अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाठक, का0 शरद कुमार राय।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा पिकअप व बाईक में टक्कर हो जाने से घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–

पीआरबी 1483 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत जिवधरा से कालर द्वारा पिकअप और बाइक में टक्कर हो जाने के कारण घायल 02 व्यक्तियों (1.बाबूनन्द मिश्रा पुत्र श्रीराम शंकर मिश्रा ग्राम तेनुआडाड़ थाना बखिरा 2. इकरार अहमद पुत्र जुबेर अहमद ग्राम पिपरा बोरिंग थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 राकेश कुमार, आ0 गौरव सिंह, हो0चा0 अवधेश त्रिपाठी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 90 वाहनों से 1,28,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 90 वाहनों से 1,28,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा जनपद संतकबीरनगर में आयोजित अन्तरजनपदीय कुश्ती, कलस्टर (महिला / पुरूष), (कुश्ती, बाक्सिंग, बाडी बिल्डिंग तथा आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता) वर्ष- 2025 का फीता काटकर किया गया उद्घाटन

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर में आज दिनांक 04.03.2025 से 06.03.2025 तक

चलने वाली अन्तरजनपदीय कुश्ती, कलस्टर (महिला / पुरूष), (कुश्ती, बाक्सिंग, बाडी बिल्डिंग तथा आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता) का श्री कांशीराम जी डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम जनपद संतकबीरनगर में फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया तथा गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता के शुभारम्भ की घोषणा की गयी। महोदय द्वारा विभिन्न जनपदों से आये खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया गया एवं खेल भावना से खेल खेलने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान***, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*,** क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*,** प्रतिसार निरीक्षक ***श्री रजनीकान्त ओझा*** सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

आज दिनांक 04.03.2025 को जनपद महराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, देवरिया, सिद्धार्थनगर व जनपद सन्तकबीरनगर की महिला व पुरुष टीमों के बीच कुश्ती की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

तथा गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता के शुभारम्भ की घोषणा की गयी। महोदय द्वारा विभिन्न जनपदों से आये खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया गया एवं खेल भावना से खेल खेलने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान,* क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री केशवनाथ,* क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अजय सिंह,* प्रतिसार निरीक्षक *श्री रजनीकान्त ओझा* सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि तथा न्यायालय उठने तक की सजा व 400रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 03.03.2025 को ***सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा तथा 400 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 002/2006 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त लौटू उर्फ मो0 रफीक पुत्र मो0 शब्बीर सा0 दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में अपराध स्वीकोरोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट के अपराध के लिये जेल में बितायी गयी अवधि व 400 रुपये के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना बेलहरकला पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 54/2025 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता राघवेन्द्र चौधरी पुत्र स्व0 अछैबर निवासी फुलवरिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 04.03.2025 को फुलवरिया से बनौली जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 02.03.2025 को थाना बेलहरकला पर वादिनी की नाबालिग पुत्री बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 04.03.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री प्रमेश मिश्र, हे0का0 पवन कुमार यादव, का0 राजूराम।

*पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि तथा न्यायालय उठने तक की सजा व 400रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 03.03.2025 को ***सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा तथा 400 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 002/2006 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त लौटू उर्फ मो0 रफीक पुत्र मो0 शब्बीर सा0 दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में अपराध स्वीकोरोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट के अपराध के लिये जेल में बितायी गयी अवधि व 400 रुपये के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में चलाये जा रहे "आपरेशन क्लीन अभियान" के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मौजूद 49 दो पहिया वाहनों की नीलामी कुल 200000 रु(02 लाख रु0) में की गई

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में थानों में खड़े लावारिश वाहनों, माल मुकदमाती के निस्तारण के लिए चलाये जा रहे ***आपरेशन क्लीन अभियान*** के तहत आज दिनांक 04.03.2025 को क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान** * नायब तहसीलदार खलीलाबाद ***प्रियंका तिवारी*** की अध्यक्षता में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** की उपस्थिति में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मौजूद लावारिश हालात में खड़े 49 दो पहिया वाहनों **की नीलामी प्रक्रिया कुल 200000रु0 में की गई।** उक्त 49 दो पहिया वाहनों का मूल्य 56,700 रु0 निर्धारित किया गया था जिसमें अधिकतम बोली 200000 (2 लाख) रु0 की ठेकेदार श्री कृष्ण गोपाल पुत्र शिवकिशोर निवासी ग्राम पडियाखास चौराहा थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती द्वारा छोड़ी गयी। आपरेशन क्लीन अभियान के तहत वाहन मालिकों का नाम पता ट्रेस कर वाहनों को अपने पक्ष में मुक्त कराने के लिए नोटिस दी जा रही है, वाहन मालिकों द्वारा वाहनों को अपने पक्ष में अवमुक्त न कराने के कारण नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलें मे 04 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष की परिवीक्षा व 20-20 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू पर छोड़ा गया

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 04.03.2025 को ***मानवीय न्यायालय ए0एस0जे प्रथम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्तो को 04 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष की परिवीक्षा व 20-20 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू पर छोड़ा गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 715A/2012 धारा 325, 323, 504, 506, भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तो) 01. अवधेश दूबे पुत्र शिवसम्पत 02. गणेश दूबे पुत्र शिवसम्पत 03. सदानंद पुत्र शिवसम्पत निवासीगण मड़पौना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को उक्त प्रकरण में 01. अभियुक्तगण अवधेश दूबे,सदानंद व गणेश को 01-01 वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने व 20-20 हजार रुपये के निजी बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू को जिला परिवीक्षा अधिकारी संतकबीरनगर के समक्ष निर्णय की तिथि से 15 दिन के अन्दर निष्पादित करने हेतु आदेशित किया गया है।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के प्रयास के मामलें मे 03 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष की परिवीक्षा व 20-20 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू पर छोड़ा गया

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 04.03.2025 को ***ए0एस0जे-1*** के द्वारा 03 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने व 20-20 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र व समान राशियों के प्रतिभू से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 715/2012 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- उमाशंकर पुत्र श्री कृष्णचन्द्र दूबे 02- रमाशंकर पुत्र श्री कृष्णचन्द्र दूबे 03. कृष्णचन्द्र द्विवेदी पुत्र सत्यनरायण निवासीगण मड़पौना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 01-01 वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने व 20-20 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र व समान राशियों के प्रतिभू से दण्डित किया गया। बन्धपत्र निष्पादित न करने अथवा बंधपत्र निष्पादित किए जाने के 01 वर्ष के भीतर अभियुक्तगण द्वारा समान प्रकृति या अन्य अपराध कारित किये जाने पर न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह अभियुक्तगण को तलब करके उसे दण्डादेश के बिन्दु पर सुनकर उसके विरुद्ध यथोचित आदेश पारित करे और दण्डादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए।